न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित–मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010008422026

Bail Application/348/2026

सुग्रीव पुत्र रामलखन साकिन भगौतापुर थाना कोतवाली बांसी, जिला सिद्धार्थनगर।

–––प्रार्थी/आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **–––विपक्षी/आपत्तिकर्ता**

मुकदमा अपराध सं०–86/2024

अंतर्गत धारा–420, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना कोतवाली लोटन,

जिला–सिद्धार्थनगर।

दिनांक–30.04.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/आवेदक **सुग्रीव** की ओर से मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/आवेदक बिल्कुल निर्दोष एवं बेगुनाह है जिसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। रंजिशवश प्रार्थी को उक्त मामले में अभियुक्त बना दिया गया है। उसके द्वारा धारा 482 बी.एन.एस. के तहय यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष निवेदित है इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/आवेदक द्वारा किसी प्रकार से छल कारित नहीं किया गया है और न ही गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी ही दिया गया है। प्रार्थी को दौरान विवेचना उक्त मुकदमे की कोई जानकारी नहीं हुई न ही विवेचक द्वारा प्रार्थी का कोई बयान ही लिया गया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थी न्यायालय के पूर्व अनुज्ञा के बिना निवास स्थान नहीं छोड़ेगी तथा उसके शर्तो का पालन करेगी। प्रार्थी/आवेदक बाद जमानत मफरूरी का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/आवेदक अग्रिम जमानत पाने के पश्चात फरार नहीं होगा, तथा प्रार्थी विचारण के क्रम में पूर्ण सहयोग करेगा तथा प्राप्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी रामप्रीत ग्राम गुलरिहा कला थाना पोस्ट कोल्हुई बाजार जनपद महराजगंज की निवासी है। उसने

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.04.30 16:45:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक–14.09.2023 को आराजी गाटा सं०–392 रकबा 1.1500 हे० स्थिति मौजा भुसौला अदाई संगीता पत्नी रामचन्दर से क्रय किया था। बैनामा के आधार पर वादिनी का नाम राजस्व खतौनी में भी अंकित हो चुका है। क्रयशुदा भूमि पर वादिनी काबिज दाखिल है। दिनांक–03.11.2023 को गाटा सं०–392 में शेष रकबे अर्थात अपने सम्पूर्ण बचे अंश का संगीता ने बिन्द्रावती पत्नी राम कवल निवासी ग्राम भुसौला अदाई, थाना को. लोट तप्पा नेतवर परगना विनायकपुर, तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के पक्ष में माकूल कीमत लेकर विक्रय कर दिया। उक्त बैनामे की चौहद्दी व रकबा दोनों निर्विवाद है परन्तु बिन्द्रावती के पक्ष में उक्त वयशुदा रकबे के अतिरिक्त गाटा स०–392 में संगीता का कोई शेष रकबा नहीं बचा था। इसके बावजूद भी बैमानी और बदनियती से उपरोक्त संगीता ने अपने पिता सुग्रीव के साजिश व प्रभाव में प्रार्थिनी के क्रयशुदा भूमि में से रकबा 63.20 वर्ग मीटर भूमि का पंजीकृत बैनामा कूटरचित दस्तावेज के जरिए दिनांक–17.11.2023 को शुक्लावती पत्नी हरीश चन्द्र निवासी ग्राम सपही थाना को. लोटन. तप्पा नेतवर, परगना विनायकपुर तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के पक्ष में एक दिखावटी प्रतिफल दर्शित करते हुए पूर्व में प्रार्थिनी व बिन्द्रावती को निष्पादित व पंजीकृत करवाये गये बैनामो कई चौहद्दी के विपरीत प्रार्थिनी की क्रयशुदा भूमि में ही पश्चिम 12.45 फिट चौड़ा व 56.60 फिट लम्बा भूमि का बैनामा निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया। इस प्रकार मुल्जिमान द्वारा प्रार्थिनी से छल करके उसको क्षति कारित करने के उद्देश्य से जाली व फर्जी दस्तावेज के जरिए प्रार्थिनी के पक्ष में पूर्व में विक्रय किए गए भूमि में ही जुज रकबे का बैनामा शुक्लावती के पक्ष में कर दिया गया और उसी फर्जी बैनामे के आधार पर मुल्जिमान प्रार्थिनी की क्रयशुदा भूमि में जबरिया बार–बार कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) द्वारा तर्क दिया गया कि मामला गम्भीर प्रकृति के अपराधों जैसे छल कारित करने से संबंधित है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्ता को रंजिशवश फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः जमानत प्रदत्त की जाये।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त की अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं पायी गयी तथा 35(ग) बी०एन०एस०एस० का नोटिस तामील कराया जाना दर्शित है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी दर्शित नहीं है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अधिकतम 07 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

8. अतः समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation and Another, reproted in (2021) 10 SCC 773** में पारित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. प्रार्थी/अभियुक्त **सुग्रीव** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित मु०अ०सं०– 86/2024 अंतर्गत धारा– 420, 504, 506 भा०दं०सं० थाना–लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर, सशर्त स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 75,000/–(पचहत्तर हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर अभियुक्ता/आवेदिका को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः–

(i)– आवेदक/अभियुक्त आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रखेगा।

(ii)– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या छेड़छाड़ की जा सके।

(iii)– आवेदक/अभियुक्त अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv)– यदि आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है तो आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(v)– आवेदिका/अभियुक्ता को प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गयी हो।

(vi)– उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

10. इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक–30.04.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code- UP 6336